



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में NCORD की 9वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने NCB के अमृतसर कार्यालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 साल में हमने नशे के खिलाफ लड़ाई में काफी सफलता प्राप्त की है।

31 मार्च, 2026 से तीन वर्षों तक देश में ड्रग्स के खिलाफ सभी मोर्चों पर सामूहिक अभियान चला 'नशा मुक्त भारत' बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

नशे के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभाग 2029 तक का रोडमैप और उसका निगरानी तंत्र स्थापित करें ताकि ड्रग्स की समस्या का संपूर्ण समाधान हो।

नशे की समस्या की चुनौती कानून-व्यवस्था से ज्यादा नार्को-टेरर के प्रश्न से जुड़ी है और यह देश की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है।

युवाओं का स्वास्थ्य, उनके सोचने, परफॉर्म करने की क्षमता और समाज में बढ़ता असंतोष इस समस्या से ही जुड़े हैं।

ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में निरंतर जागरूकता ही हमें सुरक्षित कर सकती है।

ड्रग की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए ruthless Approach, डिमांड रिडक्शन के लिए strategic Approach और हार्म रिडक्शन के लिए human Approach से ही नशा-मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा।

ड्रग्स बनाने और बेचने वालों के प्रति कोई दया नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसने नशे का सेवन शुरू किया है, उसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यही भारत सरकार की स्पष्ट नीति है

कमांडु, कम्प्लायंस और अकाउंटेबिलिटी - इन तीनों को सुदृढ़ करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, बैठकों की संख्या नहीं, बल्कि परिणामों की समीक्षा व प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए

नशे के व्यापार के किंगपिन, फायनेंसर और लॉजिस्टिक्स के रूट्स पर की जाने वाली कठोर कार्रवाई हमारी समीक्षा का मुद्दा हो

FSL का उपयोग व समय पर चार्जशीट दाखिल कर सजा कराने की दर को बढ़ाना हमारा लक्ष्य हो

ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट मॉडल में भी बदलाव आया, अपराधियों द्वारा नई-नई Innovations को अपनाया जा रहा है, इसलिए हमें भी अपनी रणनीतियों को समय-समय पर बदलना होगा

हर राज्य की पुलिस 'मिशन मोड' में कुछ अधिकारियों की स्थायी टीम बनाएंगी, जो इंटेलिजेंस, AI से बेहतर समन्वित होंगी

हम ऐसी स्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं जो इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो

राज्यों के डीजीपी और आईजीपी ड्रग विनष्टीकरण के लिए ठोस कदम उठाएं

प्रविष्टि तिथि: 09 JAN 2026 9:20PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अमृतसर कार्यालय का उद्घाटन भी किया। NCB द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के प्रमुख हितधारक तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ने भाग लिया।



अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक का रोडमैप और उस पर अमल के लिए समयबद्ध समीक्षा की पद्धति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनौती कानून-व्यवस्था से ज्यादा नार्को-टेरर के प्रश्न से जुड़ी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि यह एक प्रकार से देश की आने वाली नस्लों को बरबाद करने का बज़रंग है। श्री शाह ने कहा कि हमारे युवाओं के स्वास्थ्य, उनके सोचने और परफॉर्म करने की क्षमता और अपराध एक प्रकार से इस समस्या से ही जुड़े हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2026 से हम सब एक साथ इस समस्या के खिलाफ 3 साल का एक सामूहिक अभियान चलाएंगे, जिसमें नशे की समस्या के खिलाफ सभी स्तंभों की कार्यपद्धति परिभाषित की जाएगी और लक्षांक तय कर इसकी समयबद्ध समीक्षा होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 साल में हमने नशे के खिलाफ लड़ाई में काफी सफलता प्राप्त की है और 2019 में एनकॉर्ड के पुनर्गठन के बाद हमने इस समस्या पर संपूर्ण नियंत्रण करने के रास्ते को भी सुनिश्चित किया है। अब हमने स्पीड बना ली है और तीन सूत्रीय प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स की सप्लाई चेन के प्रति सामूहिक रूथलैस अप्रोच, डिमांड रिडक्षन के प्रति स्ट्रेटेजिक अप्रोच और हार्म रिडक्षन के लिए ह्यूमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, तभी नशामुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनकॉर्ड बैठकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज़िलास्तरीय व राज्यस्तरीय बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार की अप्रोच बहुत स्पष्ट है कि ड्रग्स बनाने वाला और बेचने वाला, दोनों के प्रति कोई दयाभाव नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के विक्टिम के प्रति हमें मानवतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कमांड, कम्प्लायांस और एकाउंटेबिलिटी को सुदृढ़ करते हुए ही हमें इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें बैठकों की संख्या नहीं बल्कि इनके परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के व्यापार के किंगपिन, फायनेंसर और लॉजिस्टिक्स के रूट्स पर की जाने वाली कठोर कार्यवाही हमारी समीक्षा का मुद्दा

होना चाहिए। श्री शाह ने यह भी कहा कि हमें FSL का उपयोग और समय पर चार्जशीट दाखिल कर सजा कराने की दर बढ़ाने को भी अपने लक्ष्यों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच ड्रग्स के पूरे नेटवर्क की जांच के लिए बेहद ज़रूरी है।

गृह मंत्री ने कहा कि नार्कोटिक्स के विरुद्ध लड़ाई की उपलब्धियां संतोषजनक हैं। उन्होंने बताया कि 2004 से 2013 के दौरान 40 हजार करोड़ रूपए मूल्य की 26 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई जबकि 2014 से 2025 के दौरान 1 लाख 71 हजार करोड़ रूपये मूल्य की 1 करोड़ 11 लाख किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। श्री शाह ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम उत्साह देने वाली रही है। ड्रग्स को डिस्पोज़ करने की मात्रा में भी हम 11 गुना बढ़ोत्तरी कर सके हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में 10,770 एकड़ भूमि पर अफीम की फसल नष्ट की गई और नवंबर, 2025 तक 40 हजार एकड़ भूमि पर फसल को नष्ट किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ड्रग्स की समस्या से निपटने की अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार 31 मार्च तक एक रोडमैप तैयार करें, निगरानी तंत्र स्थापित करें और उस पर पूरी तरह फोकस करें, ताकि इस समस्या का संपूर्ण समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि हमें अगले तीन वर्षों में देश में ड्रग्स के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़कर 'नशा मुक्त भारत' बनाना है और देश के युवाओं को ड्रग्स से सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में निरंतर जागरूकता ही हमें सुरक्षित कर सकती है। हम एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो। श्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की बहुत अहम भूमिका है। जिन राज्यों में जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट करने के काम की गति धीमी है, उन्हें इसमें तेजी लानी होगा। उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य में रोडमैप तैयार कर काम समय में ड्रग विनिष्टिकरण के लिए ठोस कदम उठाएं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 में आजादी की शताब्दी के समय भारत को पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे भारत की रचना करने के लिए हम सब का यह दायित्व है कि हम युवा पीढ़ी को ड्रग्स से संपूर्ण सुरक्षा दें। श्री शाह ने कहा कि अभी यह लड़ाई ऐसे मुकाम पर है कि हम इस से जीत सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि देश की अगली पीढ़ियों को बचाने का काम हम शीर्ष प्राथमिकता के साथ करेंगे।

NCORD मैकेनिज़म एक चार-स्तरीय संरचना है, जिसमें शीर्ष स्तर की NCORD समिति शामिल है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा की जाती है। कार्यकारी स्तर की NCORD समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के विशेष सचिव द्वारा की जाती है। राज्य स्तर की NCORD समितियों की अध्यक्षता राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा और जिला स्तर की NCORD समितियों की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती है। NCORD मैकेनिज़म की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी, ताकि राज्यों, गृह मंत्रालय तथा संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और देश में नशीली दवाओं की समस्या को समग्र रूप से निपटा जा सके।

आरके / आरआर / पीआर/पीआर

(रिलीज़ आईडी: 2213101) आगंतुक पटल : 618

